Witness No.–––01–––––for–––परिवादी साक्षी –––––Deposition taken the–– 19.06.2025 –day of––गुरूवार–––Witness's apparent age 40 वर्ष––

States on affirmation–––शपथपूर्वक––––my name is––––– निधि चन्द्रवंशी ––––D/o of––– मुकेश कुमार गुप्ता –––– occupation––––––सेक्शन ऑफिसर––––address––––––सुनीता फीनलीज़ लिमिटेड, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी ई रोड, चौबे कॉलोनी रायपुर छ०ग०––––––––

समय 03.28 बजे से

नोटः– मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 20.08.2018 को धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत शपथपत्रीय कथन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कंडिका 01 से 08 तक मेरी जानकारी में सत्य व सही है ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री जी एस चन्द्राकर वास्ते परिवादी

09– आरोपी द्वारा परिवादी कंपनी को भुगतान बाबत् प्रदत्त सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का धनादेश क्र०–023451 दिनांकित 01.07.2018 **प्रदर्श पी–01** है, जिसके अ से अ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर दर्शित है । उक्त धनादेश के अनादरण का बैंक अनादरण मेमो **प्रदर्श पी–02** है । उक्त धनादेश के अनादरण के संबंध में परिवादी कंपनी द्वारा आरोपी को प्रेषित विधिक सूचना पत्र **प्रदर्श पी–03** है, जिसके अ से अ भाग पर परिवादी कंपनी के कानूनी सलाहकार एस सांखला के हस्ताक्षर दर्शित है । आरोपी को परिवादी कंपनी द्वारा प्रेषित उक्त वर्णित विधिक सूचना पत्र का डाक रसीद **प्रदर्श पी–04** है । आरोपी को प्रेषित उक्त विधिक सूचना पत्र के प्राप्ति के संबंध में डाक पावती **प्रदर्श पी–05** है । परिवादी कंपनी द्वारा इस परिवाद के संचालन बाबत् मुझे प्रदत्त अधिकार पत्र **प्रदर्श पी–06** है, जिसके अ से अ भाग पर परिवादी कंपनी के डायरेक्टर के हस्ताक्षर है, जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–06 सी** है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संदीप थौरानी अधिवक्ता वास्ते आरोपी

10– यह कहना सही है कि परिवादी कंपनी सुनीता फिनलीज़ लिमिटेड के पंजीयन संबंधी कोई

भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की हूं । यह कहना सही है कि परिवादी कंपनी में कितने डायरेक्टर है इसके संबंध में भी कोइ दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की हूं । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत **प्रदर्श पी–06** का रिज्यालूशन कंपनी का दिनांक 02.07.2021 का मूल रिज्यालूशन नहीं है । यह कहना सही है कि बोर्ड ऑफ रिज्यालूशन के लिये जो मीटिंग की जाती है उसमें सभी उपस्थित डायरेक्टर के हस्ताक्षर लिये जाते है । यह कहना सही है कि ऐसी कोई भी मीटिंग जिसमे सभी डायरेक्टर उपस्थित हो और रिज्यालूशन पास किये हो उससे संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की हूं । स्वतः कहा कि मीटिंग हुई थी । यह कहना गलत है कि मुझे **प्रदर्श पी–06** का दस्तावेज बाद में बनाकर दिया गया था ।

11– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मेरा स्वयं का कोई भी परिचय पत्र कंपनी से सील, मुहर, तथा हस्ताक्षर किया हुआ प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है । यह कहना सही है कि परिवादी कंपनी सुनीता फिनलीज लिमिटेड ब्याज पर पैसे चला सके उस संबंध में सरकारी अनुमति या पंजीयन संबंधित कोई भी दस्तावेज न्यायालय में उपसिथत नहीं की हूं । स्वतः कहा कि आर बी आई से रजिस्टर्ड है । यह कहना सही है कि आर बी आई के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं की हूं । यह कहना गलत है कि अनुमति नहीं है इस वजह से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की हूं ।

12– यह कहना सही है कि आरोपी के द्वारा परिवादी कंपनी से कोई रकम नहीं ली गई है । यह कहना सही है कि परिवादी कंपनी से श्रीमती ज्योति सादिजा के द्वारा रकम लिये जाने की बात प्रकरण में बताई हूं । यह कहना सही है कि परिवादी कंपनी के द्वारा किन नियम शर्तों के तहत ब्याज में किसी को रकम दी जाती है का कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूं । मैं स्वयं भी सभी नियम शर्तों के बारे में जानकारी नहीं रखती हूं । स्वतः कहा कि फायनेंस डिपार्टमेंट जानकारी रखता है । मैं आर बी आई के द्वारा हमारी कंपनी दिये गये

नियम शर्तों की जानकारी नहीं रखती हूं ।

13– यह कहना सही है कि मैंने न्यायालय मे प्रकरण व अपना शपथ पत्र पढकर समझकर सही जानकारी होने पर प्रस्तुत की हूं । यह कहना सही है कि मूल ऋणि को प्रतिमाह 6214/– रूपये की किस्त की रकम अदा कर दी थी । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अंतर्गत धारा 145 एन आई एक्ट की कंडिका 03 में एक माह के किस्त का उल्लेख किया गया है । मैं यह नहीं बता सकती कि 6214/– रूपये के भुगतान के लिये 12,780/– रूपये के चेक का उपयोग क्यों किया गया है । स्वतः कहा कि एकाउंट डिपार्टमेंट बता पायगा ।

14– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में मूल ऋणि के खाते के संबंध में जिसमें कितनी किस्त की अदायगी हुआ हो व कितना रकम शेष हो ऐसा कोई भी विस्तृत दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । स्वतः कहा कि मेरी जानकारी अनुसार मूल ऋणि ने एक भी किस्त की राशि अदा नहीं की है । यह कहना सही है कि जिसने रकम ली उसी का दायित्व है अदा करने का ।

15– यह कहना सही है कि मूल ऋणि के विरूद्ध रकम प्राप्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में कोई भी दस्तावेज इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूं । स्वतः कहा कि रकम प्राप्ति हेतु प्रकरण चल रहा है । यह कहना सही है कि जब मूल ऋणि से रकम प्राप्त होना संभव ना हो तो उस स्थिति में गारेंटर से रकम प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है । यह कहना सही है कि मूल ऋणि के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण रायपुर के अन्य न्यायालय में लंबित है ।

16– यह कहना सही है कि मूल ऋणि के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में संपूर्ण रकम प्राप्त होने पर यह प्रकरण हमारे द्वारा वापस ले लिया जायेगा । स्वतः कहा कि कंपनी द्वारा मूल ऋणि को एन ओ सी प्रदान करने पर यह प्रकरण वापस लिया जायेगा । मैं यह नहीं बता सकती कि प्रकरण में कंडिका 03 में लिखी विवरणी अनुसार एक माह की रकम 6214/– रूपये

कंपनी को लेना बनता है । स्वतः कहा कि एकाउंट विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार रकम की मांग **प्रदर्श पी–03** में की गई है ।

17– यह कहना गलत है कि **प्रदर्श पी–01** में कंपनी का नाम व दिनांक आदि बाद में इंद्राज किया गया है । यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी–01** में चेक जारीकर्ता के स्थान पर नंद लाल माखीजा नवीन माखीजा लिखा हुआ है । मैं यह नहीं बता सकती कि **प्रदर्श पी–01** जिस खाते का है, वह ज्वाईंट एकाउंट है या नंदलाल माखीजा का एकाउंट है । यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी–01** नंद लाल माखीजा का हस्ताक्षर नहीं है केवल आरोपी नवीन माखीजा का हस्ताक्षर है ।

18– यह कहना सही है कि मूल ऋणि के साथ जब दस्तावेज निष्पादित हुये तब मैं वहां कंपनी पर नौकरी में नहीं थी । यह कहना गलत है कि **प्रदर्श पी–01** का चेक हमारी कंपनी में कब किसे प्राप्त हुआ इसकी मुझे जानकारी नही है । स्वतः कहा कि रिकार्ड रखा जाता है, उसे देखकर बता सकती हूं । यह कहना सही है कि ऐसा कोई भी रिकार्ड प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है ।

19– यह कहना गलत है कि हमारे कंपनी से कोई भी ऋण लेता है तो उससे व उसके गारेंटर से सुरक्षार्थ हस्ताक्षरित चेक लिये जाते है । यह कहना सही है कि मूल ऋणि के द्वारा रकम या किस्त अदा नहीं करने पर गारेंटर को नोटिस एवं फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया जाता है । यह कहना सही है कि गारेंटर को नोटिस एवं फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया हो ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं की हूं । यह कहना गलत है कि गारेंटर को नोटिस एवं फोन कॉल के माध्यम से सूचित नहीं किया गया है, इस वजह से उक्त कार्यवाही संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूं ।

20– यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी–04 व 05** के अनुसार कंपनी के द्वारा नोटिस भेजा जाना दर्शित है । स्वतः कहा कि कंपनी के कानूनी सलाहकार के द्वारा भेजा गया है । यह कहना

सही है कि **प्रदर्श पी–05** के प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं **प्रदर्श पी–01** जारीकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न भिन्न है । यह कहना गलत है कि **प्रदर्श पी–03** की विधिक सूचना आरोपी को कभी प्राप्त ही नहीं हुई है । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि **प्रदर्श पी–04** के अनुसार भारतीय पोस्ट की वेबसाईट से ट्रेक करने पर **प्रदर्श पी–03** की सूचना आरोपी को नहीं मिलना दर्शित होता है ।

21– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि **प्रदर्श पी–01** के धनादेश के पीछे किस व्यक्ति के द्वारा पेंसिल से चीजें लिखी गई है । यह कहना सही है कि मूल ऋणि के साथ निष्पादित मूल दस्तावेजों के अभाव में प्रस्तुत प्रकरण में सभी तथ्य सत्य लिखें हो का मिलान नहीं किया जा सकता है । स्वतः कहा कि मूल ऋणि के दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् ही प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, इस वजह से प्रकरण में प्रस्तुत सभी तथ्य सत्य है ।

22– यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी–02** में किसी भी तरह के सील या हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना गलत है कि **प्रदर्श पी–02** का दस्तावेज झूठा बनाकर प्रकरण मे प्रस्तुत किया गया है । यह कहना सही है कि हमारी कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसमें मूल ऋणि से व गारेंटर से दोनों से पैसे लिये जाये । यह कहना सही है कि वर्तमान में कंपनी के द्वारा मूल ऋणि व गारेंटर दोनों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में चल रहे है ।

23– यह कहना गलत है कि कंपनी पैसे प्राप्त करने के लिये मूल ऋणि व गारेंटर के विरूद्ध एक साथ प्रकरण न्यायालय में चला रही है । स्वतः कहा कि यदि प्रकरण में राजीनामा होता है तो कंपनी पैसे लेकर प्रकरण समाप्त करेगी । यह कहना गलत है कि आरोपी पर परिवादी को रकम अदा करने का कोई दायित्व नहीं है । यह कहना गलत है कि मूल ऋणि के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् भी आरोपी से अवैध रकम प्राप्त करने की मंशा से यह झूठा प्रकरण झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

24– यह कहना गलत है कि आरोपी चेक में उल्लेखित रकम नहीं लेनी है, इस वजह से एकाउंट के

दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूं । यह कहना गलत है कि मैं प्रकरण चलाने विधिवत् अधिकृत नहीं हूं । यह कहना गलत है कि परिवादी कंपनी ब्याज पर पैसे चलाने हेतु अधिकृत व पंजीकृत नहीं है । यह कहना गलत है कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है, चेक का दुरूपयोग कर आरोपी से अवैध रकम प्राप्त करना चाहती हूं । यह कहना गलत है कि सुरक्षार्थ चेक को बिना सूचना दिये स्वयं से रकम आदि इंद्राज कर उसका दुरूपयोग किया गया है ।

समयः–04.53 बजे तक ।

वाचित, शुद्ध, स्वीकृत ।

सही/–
(विकास खाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–रायपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित ।

सही/–
(विकास खाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–रायपुर (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर- **सही/–**